

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशोंक-वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/548 /2025, लखनऊ दिनांक-मार्च 27 .2025

संशोधित आदेश

मुख्यालय के आदेश सं0 179/2025 दिनांक 31.01.2025 द्वारा जनपद नोएडा / सहारनपुर में दिनांक 24.03.2025 से 28.03.2025 तक गठित युगल पीठ में सें दिनांक 28.03.2025 एक दिवस की युगल पीठ अपरिहार्य परिस्थितियों मे निरस्त की जाती है।

शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-27.03.2025

(प्रतिमा श्रीवास्तव)

एच0जे0एस0

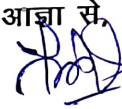
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ- 1, 2 नोएडा / पीठ-2, कानपुर/पीठ सहारनपुर / पीठ-1, मेरठ।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 3- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।